DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS---- THURSDAY, 17 OCTOBER, 2024 | NEW DELHI

'DDA nod not needed for getting power connections in unauthorised colonies'

OUR CORRESPONDENT

Chief minister Atishi

NEW DELHI: In a significant move aimed at easing access to electricity for residents of unauthorised colonies, the Delhi government has announced that the mandatory No Objection Certificate (NOC) from the Delhi Development Authority (DDA) will no longer be required.

Chief Minister Atishi revealed this decision during a press conference, stating that electricity connections will be provided within 15 days without the need for an NOC in 1,731 unauthorised colonies across the city.

CM Atishi emphasised the urgency of this decision, highlighting the frustrations faced by residents due to the previous requirement imposed by the BJP-run DDA. "For the past year, residents of unauthorised colonies in Delhi have been struggling to get electricity connections due to an order by BJP-governed DDA," she noted. The earlier mandate forced residents to obtain written NOCs, certifying that their areas were not part of the land pooling zone, leading to widespread bribery and corruption.

"This situation compelled residents to run from place to place, facing hurdles in applying for electricity meters and having to pay bribes for NOCs," Atishi explained, adding that she had received numerous complaints from affected residents. Areas such as Swaroop Vihar Extension, West Kamal Vihar, Mohan Garden, Vipin Garden, and Nawada Extension were particularly impacted, with residents voicing their grievances directly to her as both Energy Minister and Chief Minister.

Atishi stressed the government's commitment to improving conditions in unauthorised colonies, which had been neglected for years by previous administrations. "These colonies were in a dire state about ten years ago. Politicians would seek votes from these areas but then neglect them, leaving the roads unpaved and the water and sewage lines uninstalled," she remarked.

Since the formation of the Aam Aadmi Party (AAP) government, led by Arvind Kejriwal, significant progress has been made, according to Atishi. "Be it road construction, laying water and sewage lines, significant development has taken place in the last decade," she affirmed.

The removal of the NOC requirement is seen as a proactive measure to facilitate quicker access to essential services. "I am pleased to announce that the Delhi government has decided that no NOC will be required for installing electricity meters in 1,731 unauthorised colonies. Anyone residing in these colonies can apply for an electricity meter, and they will receive a connection within 15 days, as stipulated by the DISCOMs," Atishi stated.

SC asks L-G for personal affidavit on tree felling in Delhi Ridge area

The bench posted the case for hearing on October 22

OUR CORRESPONDENT

REPRESENTATIONAL IMAGE

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday directed Lieutenant Governor (L-G) and Delhi Development Authority (DDA) Chairperson V K Saxena to file a personal affidavit detailing actions against erring officials for allegedly illegally felling around 1,100 trees in Delhi Ridge area in February.

A bench of Chief Justice of India D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra said it wanted the L-G to fix accountability of the erring officials and take action, including disciplinary proceedings and criminal prosecution, without waiting for any judicial directions before October 22, the next date of hearing.

The top court sought a slew of information from the Delhi L-G while hearing a contempt case against the DDA Vice-Chairman Subhasish Panda, other officials and some private parties over the alleged felling of trees. The tree felling drive was purportedly done for widening the road going towards Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences (CAPFIMS) Hospital.

The bench, however, said it transpired from the records that the DDA chairperson visited the site on February 3, and ordered the expedition of the road widening process.

Seeking certain information from the L-G, the bench said, "Whether during the course of the site visit on February 3, 2024, there was any discussion or intimation furnished with the DDA chairperson on the permission required to be obtained from this court for the felling or removal of trees."

It further said, "In the event of the answer to the one being positive, what steps, if any, were taken to ensure that the permission of this court would be obtained before the actual felling of trees took place?".

"In the event of the answer being negative, when was the DDA chairperson first made aware of the fact that permission was required from this Court for the felling of trees?" the order noted.

The felling of trees reportedly commenced on February 16, 2024, before an application was moved, being ultimately dismissed by an order of March 4, the top court noted.

"What steps, if any, have been taken for the remediation and restoration of the ecological damage which has been caused by the felling of trees despite the admitted absence of any permission from this court?" questioned the bench.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE HINDU Thursday, October 17, 2024 DELHI

SC asks Delhi L-G to file personal affidavit on tree felling in the Ridge area

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday directed the Lieutenant Governor (L-G) of Delhi, V.K. Saxena, who is also Chairperson of the Delhi Development Authority (DDA), to file a personal affidavit on the circumstances leading to the illegal felling of over 1,000 valuable trees by the statutory body in the Capital's protected Ridge area as part of a road-widening project.

A three-judge Bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said the court wanted to get its information from the highest authority in the DDA. It said Mr. Saxena must take personal responsibility while framing the contents of his affidavit.

The court was addressing allegations that the L-G visited the road project site in the southern Ridge area on February 3 and had directed the widening work to be expedited. The actual felling of the trees commenced on February 16.

For felling trees in forest area in Delhi, prior permission had to be mandatorily obtained from the Supreme Court as well as the Centre under the Forest Conservation Act.

L-G V.K. Saxena

The court recorded in the order that the trees in question had been actually felled even before DDA moved the apex court for permission. The apex court had refused permission for cutting the trees on March 4.

Cases clubbed

On knowing the actual facts of the case about the felling of trees without permission, the apex court had initiated contempt action against the DDA in April 2024. The court had also ordered status quo. Subsequently, the separate cases concerning the tree felling, till then heard by two different Benches of the apex court, were clubbed and listed before the three-judge Bench headed by the Chief Justice.

In its order, the Chief Justice's Bench said the material on record was still "ambiguous about certain critical aspects" and called for further elaboration, this time from the DDA Chairperson himself. The court pointed out that there was no sign of the timber.

Series of questions

The court order raised a series of questions for the L-G to respond to on the basis of the material on record and from his "personal knowledge", asking whether he was told by any DDA officials that prior permission of the court was required before felling the trees and if so, when.

The CJI made it clear that the court expected the L-G to initiate disciplinary action, criminal prosecution and fix accountability on all those who are involved in the felling of the trees by October 22, the next date of court hearing. "We want you to take action before we take action," the CJI told the L-G's counsel.

CM: DDA nod not a must to get power in unapproved colonies

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Aam Aadmi Party (AAP) government on Wednesday said it has done away with the need to obtain a no-objection certificate (NOC) from the Delhi Development Authority (DDA) to get new electricity connections in 1,731 unauthorised colonies in the Capital.

Announcing the decision, Chief Minister Atishi said it was taken following several complaints from residents that they were being forced to pay bribes to obtain the document from the DDA, a statutory body under the Union Ministry of Housing and Urban Affairs.

She also slammed the urban body for issuing an order mandating the need for an NOC to get a new power connection.

The CM alleged that the DDA had issued the order at the behest of the BJP-led Centre, drawing criticism from Delhi's principal Opposition party, which accused Ms. Atishi of "peddling lies".

BJP's North East Delhi Lok Sabha member Manoj Tiwari said no such directive had been issued, and an NOC was required only in case of new colonies that are being developed. He said AAP had been founded on "lies and corruption".

'Hassled for a year'

However, the CM said residents of unauthorised colonies had been hassled for the past year following the DDA order. "The order required residents to obtain a written NOC from the DDA certifying that their area does not fall under the land pooling zone," she said.

Chief Minister Atishi addressing reporters at the Secretariat. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

"As a result, people living in 1,731 unauthorised colonies had to run from place to place, facing hurdles in applying for electricity meters and having to pay bribes for the NOCs," Ms. Atishi added.

'Bid to defame Centre'

The North East Delhi MP accused the ruling party of trying to defame the Central government to get votes in the upcoming Assembly election.

Mr. Tiwari said the responsibility of providing power connections and installing meters rests with the Delhi government. He said there was never a need for an NOC from the DDA to install meters in unauthorised colonies.

"An NOC is required only when developing new colonies to ensure the provision of roads, sewerage, and other basic amenities. AAP is misleading the public for its political interests," he alleged.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | OCTOBER 17, 2024

SC asks LG to file personal affidavit by October 22 on felling of trees in Ridge area

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Supreme Court on Wednesday directed the Lieutenant Governor (LG) Vinai Kumar Saxena, who also holds the office of the Delhi Development Authority (DDA) chairperson, to file his personal affidavit by October 22 on issues concerning alleged felling of trees in the Delhi Ridge area.

A bench of Chief Justice D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra was hearing a contempt case against the DDA and others over the alleged felling of trees in the area. After going through the materials on record, the top court noted an ambiguity on certain aspects.

It wanted clarity on whether there was any discussion or intimation to the DDA chairperson on the top court's permission for felling trees during his site visit on February 3. "In the event of the answer to the one above being positive, what steps, if any, were taken to ensure that the permission of this court was taken," it said.

The Supreme Court further said if the answer was in the negative, when did DDA chairperson learn of the permission required. It noted the actual felling of trees had allegedly commenced on February 16 even before a plea was moved before the top court and eventually dismissed.

The Court will further be informed about the steps taken for the restoration -- suggested in its orders -- of the ecological damage. "What steps have been taken against the officers for the willful suppression before this court of the fact that the felling of trees took place before the application was filed," it added.

The Supreme Court directed the LG to further inform if any disciplinary proceedings and criminal action were initiated against the erring persons. The bench posted the case for hearing on October 22 and said that the affidavit be filed on or before the next date of hearing.

The contempt case against DDA vice-chairperson Subhasish Panda and others over the alleged felling of trees in the Ridge area was being heard by a bench headed by the CJI. A bench of Justices Abhay S Oka and Ujjal Bhuyan had previously heard the matter.

The earlier bench had issued a criminal contempt notice against Panda for allegedly allowing large-scale felling of trees in the southern Ridge's Satbari area for the construction of a road from Chattarpur to the South Asian University.

It had expressed displeasure over a misleading affidavit filed by the vice-chairperson. On July 24, another bench of Justices B R Gavai, P K Mishra and K V Viswanathan took note of two separate contempt proceedings pending before different benches over the felling of trees in Delhi's Ridge area and said it believes in "judicial propriety" and does not want any conflicting orders to be passed.

Two different benches were hearing related but separate aspects of the contempt case against the DDA reportedly leading to a potential judicial standoff and possibility of conflicting orders.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | OCTOBER 17, 2024

AAP, BJP spar over scrapping of NOCs to power connections in unauthorised colonies

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Aam Aadmi Party (AAP) and the Bharatiya Janata Party (BJP) Tuesday sparred over the issue of scrapping of 'no objection certification' (NOC) to power connections in unauthorised colonies. Chief Minister Atishi on Wednesday announced the scrapping of requirement of "No Objection Certificate" (NOC) by Delhi Development Authority for getting electricity connections in unauthorised colonies.

She further accused the BJP for making it difficult for residents of these colonies to get electricity connections. While the Delhi BJP hit back at the AAP government saying the Lieutenant Governor has already done away with the NOC provisions and alleged that the AAP government and their ministers are spreading lies to mislead the people.

The BJP further accused her of being a 'Credit Chor' claiming that she can go to any extent to take credit for others' work and mislead the public by lying.

Speaking about the decision, Atishi said, "I am pleased to announce that the Delhi government has decided that no NOC will be required for installing electricity meters in 1,731 unauthorized colonies. Anyone residing in these colonies can apply for an electricity meter, and they will receive a connection within 15 days, as stipulated by the DISCOMs."

She stated that the decision comes in the backdrop where she had received complaints about people being forced to wander and pay bribes due to the mandatory NOC requirement by BJP-governed DDA. She said, "Despite the BJP's DDA attempting to trouble the residents of unauthorized colonies, all such attempts will be thwarted under the leadership of Arvind Kejriwal."

"Residents from various areas like Swaroop Vihar Extension, West Kamal Vihar, Mohan Garden, Vipin Garden, and Nawada Extension came to me as the Energy Minister and Chief Minister, sharing their grievances," Atishi said, adding that no matter how much the BJP's DDA tries to harass the residents of unauthorized colonies, the Delhi government will not allow them to suffer.

"Orders have been issued to the electricity companies to ensure that no NOC is needed for installing meters in these colonies," she stated.

Meanwhile, South Delhi MP Ramvir Singh Bidhuri has accused Atishi of telling a blatant lie and said that the DDA has already removed the condition of NOC for electricity connection in unauthorized colonies of Delhi. Bidhuri said that the order issued by DDA can only be withdrawn by DDA. Leader of the Opposition in the Delhi Assembly Vijendra Gupta called Atishi's announcement the height of dishonesty. "Atishi is trying to take credit for the announcement made by the Lieutenant Governor to remove the NOC requirement for new electricity connections in unauthorized colonies.

The Lieutenant Governor had already issued this order on October 1, and now, 15 days later, Atishi is falsely attempting to take credit for the same decision, claiming it benefits the public," he alleged.

Delhi BJP President Virendra Sachdeva said that Atishi proved that both her government and the AAP are "machines for churning lies." He claimed that neither the DDA nor the MCD had ever imposed the NOC condition. "Instead, the requirement came from the power DISCOMs under the Kejriwal government. For years, power DISCOMs requested NOCs from the MCD for urbanized areas, and by mid-last year, they started demanding NOCs from the DDA for unauthorized colonies and urban villages, worsening the issue," Sachdeva claimed.

Northeast Delhi MP Manoj Tiwari alleged that Atishi shamelessly lied and called her claims a complete fabrication aimed at misleading the public. "This decision was publicly acknowledged on October 6 in Burari, where residents expressed their gratitude through the "THANK YOU MODI JI" program," he stated.

No necessity of seeking NOC of any kind by power discoms: DDA

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority on Wednesday said that there shall be no necessity of seeking any No Objection Certificate (NOC) of any kind from the authority by the power discoms, stating they may provide new or renew old connections at their own level suo moto.

In an official order, the DDA said, "In this regard, in supersession of all previous orders issued, it is hereby clarified that DISCOMs may issue fresh electricity connections suo- moto for constructions within the notified PM-UDAY colonies, lal dora and extended lal dora areas by referring to the list of such areas."It added that for vacant patches of private land completely encircled by PM-UDAY colonies and not situated at the periphery of the PM-UDAY boundary of PM-UDAY colonies, the DISCOMS may issue fresh electricity connections suo-moto.

"Cases where pre-existing permanent electricity connections were surrendered in lieu of reconstruction, renovation or change of ownership, the DISCOMS may issue fresh electricity connections suo-moto," it readIt also stated that the discoms may follow their existing protocol prior to June 26, 2023 in issuing fresh electricity connections in respect of MCD regularized colonies, plots allotted under 20 points programme and industry/godown situated in non-conforming areas regularized by GNCTD prior to issuance of notification of land pooling regulations.

It will also in regards to JJ clusters where land rights have been given by DDA or any other government agency prior to issuance of notification of land pooling regulations, government establishments and cases where vertical and horizontal extensions were added to the existing construction."Hence, in all the above instances, the DSICOMS may provide new/ renew old connections at their own level suo moto and there shall be no necessity of seeking any clarification / NOC of any kind from DDA," it said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI · 17 अक्तूबर, 2024 ▸ गुरुवार

बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए ने एनओसी की अनिवार्यता को किया समाप्त

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : अनधिकृत कॉलोनियों, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा सहित अन्य कॉलोनियों की श्रेणी में अब बिजली कंपनी दिल्ली विकास प्राधिकरण की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी के बिना भी बिजली के कनेक्शन दे सकेंगी। डीडीए ने एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। डीडीए के निदेशक लैंड पूलिंग डॉ. विक्रम सिंघल ने आदेश जारी कर एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इन कॉलोनियों में बिजली कंपनियां स्वतः ही नए बिजली कनेक्शन जारी कर सकेंगी। डीडीए के जारी आदेश में कहा गया है कि अधिसूचित पीएम-उदय कॉलोनियों, लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों के अलावा ऐसे मामले जहां पहले से मौजूद स्थायी बिजली कनेक्शन को वापस कर दिया गया, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण या स्वामित्व में परिवर्तन के कारण इत्यादि मामलों में डिस्कॉम्स नए सिरे से कनेक्शन दे सकेगा।

दरअसल डीडीए ने पिछले साल लैंड पूलिंग क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों की बढ़ती संख्या को रोकने और दिल्ली के शहरीकृत गांवों में लैंड पूलिंग नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई निवारक उपाय किए गए थे। इसी कदम के तहत डीडीए ने नए बिजली कनेक्शन को लेकर एनओसी को अनिवार्य कर दिया था। एनओसी की अनिवार्यता के चलते बिजली कंपनियों ने मीटर के कनेक्शन देने बंद कर दिए।

पिछले साल डीडीए ने अवैध निर्माण और लैंड पूलिंग को लेकर एनओसी को किया था अनिवार्य

कॉलोनियों के लोगों ने परेशान होकर डीडीए, राज निवास और अन्य महकमों में एनओसी में आ रही परेशानियों का जिक्र किया था। लोगों की मिली शिकायतों और जनहित को देखते हुए डीडीए ने अपने आदेश का वापस ले लिया है। अब उक्त कॉलोनियों में आसानी से बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर
NAME OF NEWSPAPERS----------- नई दिल्ली, गुरुवार 17 अक्टूबर, 2024 DATED-----------

कच्ची कॉलोनी वालों को आतिशी ने दी राहत

डीडीए की एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सीएम आतिशी ने बुधवार को कहा कि कच्ची कॉलोनी में पिछले एक साल से लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। बिजली कनेक्शन के लिए लोगों से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मांगा जा रहा था। अब दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सीएम आतिशी ने कहा, बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। लोग मुझसे मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थीं। अब उन्हें एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन मिलेगा। डीडीए दिल्ली की अनियमित कॉलोनी के लोगों को बिजली के कनेक्शन को लेकर परेशान नहीं कर पाएगा। इसके लिए डिस्कॉम को आदेश दे दिया गया है कि बिना एनओसी के बिजली मीटर सभी को दिया जाए। दिल्ली में भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि व गैर-औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे उद्योग, गोदाम, जेजे कॉलोनी, ये आदेश सभी पर लागू होगा।

आतिशी एलजी के आदेश का क्रेडिट ले रहीं : भाजपा

विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सीएम आतिशी पर आरोप लगाया कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेने में और झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा, एलजी ने 1 अक्टूबर को ही ये आदेश जारी कर दिया था और अब 15 दिन बाद अचानक से आतिशी इसी घोषणा का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। ये डीडीए से जुड़ा मामला है। इसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। इसको खत्म करने की मांग को लेकर भाजपा के सांसद-विधायक एलजी से मिले थे और अब जब एलजी ने इसे खत्म कर दिया 15 दिन बाद आतिशी इसका क्रेडिट लेकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं।

दिल्ली के रिज में 1100 पेड़ों की कटाई का मामला

सुप्रीम कोर्ट एलजी और डीडीए अध्यक्ष से मांगेगा जवाब

भास्कर न्यूज|नई दिल्ली

दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा वह रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा और दिल्ली के उपराज्यपाल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने डीडीए अध्यक्ष को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में चर्चा की कोई जानकारी थी। सीजेआई ने कहा दूसरा एलजी को कब सूचित किया गया कि अनुमति की आवश्यकता है। तीसरा, उपचारात्मक उपाय के रूप में क्या कदम उठाए गए। चौथा, रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के लिए (एससी) आदेश होने के बाद से दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 17 अक्तूबर 2024 DATED-----------

1731 कच्ची कॉलोनियों में बिना एनओसी मिलेगा बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री आतिशी ने की घोषणा, अब महज 15 दिनों के भीतर मिलेगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अब लोगों को कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा शासित डीडीए ने कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता कर दी थी। इससे लोगों को भटकने और रिश्वत देने को मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन अब 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली मीटर लगवाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। 15 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा।

आतिशी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में 10 साल पहले तक बुरा हाल था। वोट मांगने तो नेता इन कॉलोनियों में पहुंच जाते थे, लेकिन बिजली, सड़क, पानी, सीवर लाइन की सुध नहीं लेते थे। 10 साल से जब से केजरीवाल सरकार बनी कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हर संभव सहूलियत मिलने

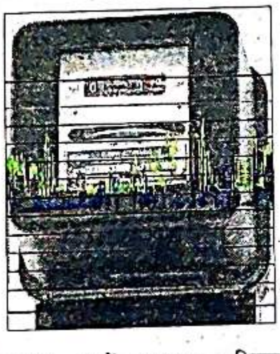

लगी। उन्हें स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों के लोगों ने समस्याओं से अवगत किया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बिजली कंपनियां निर्धारित 15 दिन में कनेक्शन देंगी। कंपनियों को आदेश दे दिया गया है कि बिना एनओसी के कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाए जाएं।

पीएम-उदय कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन लग सकते हैं : डीडीए

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए ने दिल्ली के लैंड पूलिंग क्षेत्रों में डिस्कॉम को बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है। अब पीएम-उदय कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं। डीडीए में हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिसूचित पीएम-उदय कॉलोनियों, लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन जारी किया जा सकता है। वहीं, पूरी तरह से घेरी गई निजी भूमि के खाली टुकड़ों के लिए और पीएम-उदय कॉलोनियों की सीमा के बाहरी क्षेत्र में स्थित न होने पर भी कनेक्शन जारी किया जा सकेगा। डीडीए से किसी भी तरह का स्पष्टीकरण और एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो

दिल्ली में जनाधार खो चुकी आप : कांग्रेस

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल का चुनावों से पहले दिल्लीवालों के नाम पत्र लिखने का सिलसिला 11 वर्षों से जारी है, लेकिन जनता उनके गुमराह करने वाले बयानों से प्रभावित नहीं होगी। दिल्ली में आप जनाधार खो चुकी है। इस बारे में उन्हें मालूम हो चुका है। इस कारण भावनात्मक पत्र लिखकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के सिर्फ छह माह जेल में रहने से टूटी सड़कों की मरम्मत, सीवर सफाई, पानी सप्लाई और अस्पतालों की बदहाली नहीं सुधर गई। दस सालों में किए गए अधूरे कामों को चार महीनों में पूरा करना संभव नहीं है। केजरीवाल पर चुनाव से पहले मतदाताओं को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बंद होने की बात कहकर डरा रहे हैं। जनता भाजपा और आप के बीच चल रही लड़ाई से तंग आ चुकी है। ब्यूरो

एनओसी की शर्त के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहीं मुख्यमंत्री : भाजपा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी पर सफेद झूठ बोलने का आरोप मढ़ा है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुधवार को कहा कि डीडीए ने कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त पहले से ही हटा ली है। आतिशी का यह दावा झूठा है कि दिल्ली सरकार ने यह शर्त हटाई है। उपराज्यपाल 1 अक्तूबर को ही इस शर्त को हटाने की घोषणा कर चुके हैं।

इस तरह सरेआम झूठ बोलकर आतिशी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर रही हैं। जो आदेश डीडीए ने जारी किया, वह आदेश डीडीए ही वापस ले सकता है। सभी भाजपा सांसदों ने लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उपराज्यपाल से इस बारे में अनुरोध किया था और ज्ञापन भी सौंपा था।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त कभी डीडीए या एमसीडी ने नहीं लगाई, यह शर्त केजरीवाल सरकार के पावर डिस्कॉम ने लगाई थी। भाजपा सांसदों ने दिल्ली वालों की बिजली एनओसी व संपत्ति म्यूटेशन की समस्याओं पर उपराज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप कर फैसला करवाया है। केंद्र सरकार विशेषकर गृहमंत्री अमित शाह ने एनओसी की बाध्यता को खत्म करवाया।

दूसरी तरफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने प्रेसवार्ता में कहा कि आतिशी जनता के बीच भ्रम फैलाने की साजिश कर रही हैं। अब भ्रष्टाचार आप की पहचान बन चुका है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- अमर उजाला
नई दिल्ली। बृहस्पतिवार। 17 अक्तूबर 2024
amarujala.com ---DATED---

रिज में पेड़ों की कटाई... सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के चेयरपर्सन व दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूरी जानकारी के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। रिज क्षेत्र में इस साल फरवरी में पेड़ काटे गए थे। शीर्ष अदालत ने डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा की तरफ से भ्रामक हलफनामा दायर करने पर नाराजगी भी जताई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू किए गए अवमानना मामले में यह आदेश पारित किया। जिसमें कथित तौर पर सीएपीएफआईएमएस अस्पताल की सड़क को चौड़ा करने के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर डीडीए उपाध्यक्ष और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई कर रही थी। इसमें कथित तौर पर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) आईएमएस अस्पताल की सड़क को चौड़ा करने के लिए लगभग 1,100 पेड़ काटे गए थे। शीर्ष अदालत ने डीडीए अध्यक्ष से मुख्य रूप से चार मुद्दों पर जानकारी देने को कहा है। पहला, क्या उनसे पेड़ों को काटने के लिए इस अदालत से अनुमति लेने के संबंध में कोई चर्चा हुई थी।

दूसरा, उन्हें को कब बताया गया कि पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है। तीसरा, 16 फरवरी और उसके पास पेड़ों की कटाई शुरू हुई, क्या यह काम इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने से भी पहले किया गया। और चौथा, पेड़ों की कटाई से हुए नुकसान की भरपाई और रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के लिए (एससी) आदेश के बाद से दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की तरफ से भ्रामक हलफनामा देने पर जताई नाराजगी

एलजी से दोषी पर कार्रवाई की उम्मीद

पीठ ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि एलजी सुनवाई की अगली तारीख (22 अक्टूबर) तक कोर्ट के किसी निर्देश का इंतजार किए बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक अभियोजन के रूप में दोषी अधिकारियों की ओर से जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाएंगे। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से पता चला है कि अध्यक्ष ने 3 फरवरी, 2024 को साइट का दौरा किया था और सड़क चौड़ीकरण प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया था। हालांकि यह देखते हुए कि रिकॉर्ड पर सामग्री थोड़ी अस्पष्ट थी, न्यायालय ने कहा कि उसे कुछ तथ्यात्मक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

हलफनामा में लकड़ी के निपटान की जानकारी दें : सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सीजेआई ने पूछा, लकड़ी कहां गई। 1100 पेड़ काटे गए हैं। लकड़ी कब हटाई गई? इस पर उपराज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा, मैं लकड़ी की निगरानी नहीं करता, डीडीए जानता है। सीजेआई ने कहा कि एलजी के हलफनामे में यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि काटे गए पेड़ों की लकड़ी का किस तरह से निपटान किया गया है।

पेड़ों को काटने का निर्देश देने का आरोप : सुनवाई के दौरान अवमानना याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने पीठ को मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और जस्टिस अभय एस ओका की अगुवाई वाली पिछली पीठ की ओर से पारित विभिन्न आदेशों का सारांश पेश किया।

उन्होंने कहा कि सच्चाई को छिपाने के कई प्रयास किए गए हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जो दर्शाती हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने खुद पेड़ों को काटने का निर्देश दिया था। जेठमलानी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एलजी ने पेड़ों को काटने का कोई निर्देश नहीं दिया था।

पेड़ों की कटाई पर शीर्ष कोर्ट ने एलजी से मांगा हलफनामा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपराज्यपाल वीके सक्सेना को व्यक्तिगत हलफनामा

दायर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या उनसे पेड़ों को काटने के लिए कोर्ट से अनुमति पर कोई चर्चा हुई थी। उन्हें कब बताया गया कि कोर्ट की अनुमति जरूरी है। अदालत में अर्जी से पहले भी क्या पेड़ों की कटाई हुई और दोषी अधिकारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने यह भी पूछा, लकड़ी कहां गई। 1,100 पेड़ काटे गए हैं। कोर्ट ने डीडीए उपाध्यक्ष के भ्रामक हलफनामे पर भी नाराजगी जताई। >> पेज 6

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- पंजाब केसरी DELHI 17 अक्तूबर, 2024 ▶ गुरुवार

पेड़ों की कटाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें एलजी

- दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं
- पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है

नई दिल्ली,(पंजाब केसरी): उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के रिज इलाके में पेड़ों की कथित कटाई के मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा।

दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई के मुद्दे पर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने उपराज्यपाल को दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाइयों का विवरण भी देने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''पीठ ने डीडीए अध्यक्ष को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या पेड़ों की कटाई की अनुमति पर चर्चा के बारे में कोई जानकारी थी। दूसरा, उपराज्यपाल को कब सूचित किया गया कि अनुमति की आवश्यकता है। तीसरा, सुधारात्मक उपायों के रूप में क्या कदम उठाए गए, और चौथा, रिज की मूल प्रकृति को संरक्षित करने के लिए (न्यायालय के) आदेश के बाद से दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।''

न्यायालय ने उपराज्यपाल को सुनवाई की अगली तारीख 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई अब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने पूर्व में इस विषय की सुनवाई की थी। पिछली पीठ ने छतरपुर से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी तक सड़क निर्माण के लिए दक्षिणी रिज के सतबारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के आरोप में पांडा के खिलाफ आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था। पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा दाखिल एक भ्रामक हलफनामे पर नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की एक अन्य पीठ ने 24 जुलाई को, दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित दो अलग-अलग अवमानना कार्यवाही का संज्ञान लिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI — 17 अक्तूबर, 2024 ▸ गुरुवार

'अब बिना डीडीए की एनओसी के कच्ची कॉलोनियों में मिलेगा बिजली कनेक्शन'

1 भाजपा शासित डीडीए द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता से लोग दर-दर भटकने और रिश्वत देने को थे मजबूर

2 दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए लोगों की अब किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नही होगी: सीएम आतिशी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनी(कच्ची कॉलोनी) में रहने वालों को अब बिजली के कनेक्शन लेने और मीटर लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। यह बात बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सीएम आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित डीडीए द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता से लोग दर-दर भटकने और रिश्वत देने को मजबूर थे। लेकिन दिल्ली के 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए लोगों की अब किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में बिना एनओसी 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलेगा। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में

1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। 10 साल पहले तक इन अनधिकृत कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल होता था। यहां नेता वोट मांगने तो जाते थे लेकिन जब सरकार बनती थी तो इन अनधिकृत कॉलोनियों में न तो सड़कें बनाई जाती थी, न पानी-सीवर की लाइनें डाली जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल से जबसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हर संभव सहूलियत देने का काम किया गया। चाहे सड़कें बननी हो, पानी-सीवर की लाइन डलनी हो और काफी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ।

बिना एनओसी 15 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन

सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों में 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास बतौर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों से कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए। जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि, 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो इन कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और उन्हें डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित 15 दिन के समय के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 17 अक्टूबर • 2024

NAME OF NEWSPAPER राष्ट्रीय सहारा ----DATED----

अनधिकृत कॉलोनियों में एनओसी के बगैर मिलेगा बिजली कनेक्शन

नई दिल्ली (एसएनबी)। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी की सभी 1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की एनओसी जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर डीडीए ने लोगों को परेशान करने के लिए डिस्कॉम को एक आदेश जारी किया था कि नया कनेक्शन जारी करने से पहले डीडीए की एनओजी जमा कराएं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए डिस्कॉम को निर्देश दिया है कि आवेदकों से नए कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी नहीं मांगी जाए। हालांकि अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डीडीए से एनओसी की मान्यता के समाप्त कर दिया है।

■ भाजपा के इशारे पर एक साल से डीडीए कर रहा था परेशान : सीएम

■ उपराज्यपाल ने अक्टूबर में ही खत्म कर दी है एनओसी की अनिवार्यता

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न अनधिकृत कालोनियों के लोग उनके पास इस शिकायत को लेकर आ चुके हैं। आवेदन कर्ताओं का आरोप है कि नए कनेक्शन के लिए उन्हें कार्यालय दर कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एनओसी लेने के एवज में उससे रिश्वत की मांग की जाती है। उन्होंने दावा किया है कि बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने इन अनधिकृत कालोनियों में सड़क बनाने एवं पानी की लाइन बिछाने का काम किया है। हमारी सरकार बनने से पहले इन अनधिकृत कालोनियों का बुरा हाल था। दस सालों में केजरीवाल की सरकार ने काफी काम किया है। उनकी सरकार मे इन अनधिकृत कालोनियों के लोगों के जीवन स्तर पर सुधार आया है। चुनाव मे नेता इन अनधिकृत कालोनियों के लोगों से वोट तो मांगने जाते थे, लेकिन चुनाव के बाद काम नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में अनधिकृत कालोनियों में लगातार काम हो रहा है। अतिशी ने कहा कि करीब एक साल पहले अचानक डीडीए ने एक आदेश जारी कर डिस्कॉम को निर्देश दिया कि वह एनओसी लिए बगैर नया कनेक्शन जारी नहीं करें। उसके बाद से लोगों को नए कनेक्शनों पर रोक लग गयी।

मुख्यमंत्री का कहना था कि नया कनेक्शन लेने से पहले डीडीए एक एनओसी जारी करती थी कि उपरोक्त जमीन उनकी लैंड पूलिंग योजना के अन्तर्गत नहीं आती है, तभी नया कनेक्शन मिलेगा। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली की सभी 1731 अनधिकृत कालोनियों मे मीटर लगवाने के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डीडीए कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन अनधिकृत कालोनियों के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनओसी का मतलब रिश्वत देना होता है। जो आवेदन कर्ता रिश्तव देता था, उसे एनओसी मिल जाती थी। हमारी सरकार ने डिस्कॉम को साफ-साफ आदेश जारी कर दिए है कि नए कनेक्शन के लिए अब एनओसी अनिवार्य नहीं है। आवदेन कर्ता को निधारित समय सीमा के भीतर नया कनेक्शन जारी किया जाए।

पेड़ों की कटाई के मामले में एलजी से जवाब तलब

नई दिल्ली (एसएनबी)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के रिज इलाके में पेड़ों की कथित कटाई के मुद्दे पर बुधवार को डीडीए के अध्यक्ष एवं उपराज्यपाल वी के सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा। दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई के मुद्दे पर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने उपराज्यपाल को दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाइयों का विवरण भी देने को कहा है।

■ शीर्ष अदालत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI THURSDAY OCTOBER 17, 2024

Power norm relaxed in illegal areas; AAP, LG spar for credit

HT Correspondent

htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Chief minister Atishi on Wednesday announced that the Delhi government has directed power companies to provide new connections to consumers in unauthorised colonies in the city without seeking land clearances, leading to another showdown between the government and the lieutenant governor's (LG's) office, which also claimed credit for the same.

"The Delhi government has decided that in 1,731 colonies, there is no need to obtain a NoC for getting the electricity connection. Anyone living in these colonies can apply for electricity connection and within 15 days, they will get electricity meters," Atishi said in a press conference.

In an order on the same day, the Delhi Development Authority (DDA) attributed the directions to the LG. "Acting on the instructions of the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi, DDA has issued orders in supersession of all previous instructions, for providing electricity connections by the DISCOMs in land pooling areas of Delhi," the DDA said in a statement.

The DDA said: "Discoms may issue fresh electricity connections suo motu for constructions within the notified PM-UDAY colonies, lal dora, extended lal dora areas, vacant patches of private land completely encircled by PM-UDAY colonies and not situated at the periphery of the boundary of PM-UDAY colonies and cases where pre-existing permanent electricity connections were surrendered in lieu of reconstruction, renovation or change of ownership."

The authority said that rampant unauthorised developments in land-pooling areas posed a serious threat to the implementation of land-pooling policy.

"It is pertinent to note that on all the issues raised by the discoms requiring NoC for electricity connection from DDA in respect of the 1,731 PM UDAY colonies, decision was already taken on October 10 by DDA," an official from the LG office said.

Atishi said unauthorised colonies were in poor shape 10 years ago due to a lack of basic infrastructure "but the Aam Aadmi Party government provided all possible facilities".

"These colonies has seen a lot of development and improvement in their quality of life," Atishi said.

AAP BLAMES HRY, U.P. FOR POOR AIR; BJP RAPS PUNJAB

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) leader Jasmine Shah on Wednesday said stubble burning in Punjab reduced by 27% in the first 15 days of October this year, compared to the same period last year. Attributing the reduced number of incidents to the efforts of the AAP-led Punjab government, Shah blamed the Bharatiya Janata Party (BJP) governments in Haryana and Uttar Pradesh (UP) for increased pollution levels in Delhi.

Quoting data, he said that stubble burning surged by 23% in Haryana and 71% in Uttar Pradesh this year.

A BJP spokesperson, refuting the allegations, said: "AAP leaders, including Arvind Kejriwal himself, till 2021 used to allege that Punjab's stubble burning is responsible for turning Delhi into a gas chamber... but once in power in Punjab, they have shut their eyes." HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- Hindustan Times
NEW DELHI
THURSDAY
OCTOBER 17, 2024

SC SETS DEADLINE FOR LG IN RIDGE TREE-FELLING CASE

Abraham Thomas
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday set a deadline of October 22 for Delhi LG VK Saxena to act against officials of the DDA for illegally felling over 1,100 trees in Delhi's Southern Ridge and sought an affidavit from him. →P3

SC gives LG till next week to act on Ridge tree-felling

Abraham Thomas
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday set a deadline of October 22 for Delhi lieutenant governor Vinai Kumar Saxena to act against officials of the Delhi Development Authority (DDA), in his capacity as its chairperson, for illegally felling over 1,100 trees in Delhi's Southern Ridge and sought an affidavit from him in that capacity to answer key questions related to why the trees were felled without mandatory clearance from the court.

The order was passed by a bench headed by Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud while considering a contempt petition against the DDA vice chairman. The case concerns DDA clearing trees in the ridge near Satbari in February for a road construction project, and failing to disclose this to the court, which dismissed DDA's application seeking permission for the felling of trees (that had already been cut) on March 4.

Without issuing notice to the LG, the bench, also comprising justices JB Pardiwala and Manoj Misra, asked Saxena to file a personal affidavit in his capacity as DDA chairman answering certain critical questions in the chain of facts which has remained ambiguous. These relate to a site visit he made on February 3, following which the tree-cutting began on or around February 16 and continued till February 26. The bench asked the LG to clarify whether he discussed anything about the permission to be obtained for the felling of the trees, and whether he was at all aware that such permission was needed.

If he did not, the court wished to know, when he became aware of this requirement; and when he was told about the actual felling of trees having commenced before moving the application for permission in court. The court also wanted to know whether Saxena took any remedial steps to restore the ecological damage caused by the felling of trees, and action, if any, against the officers responsible.

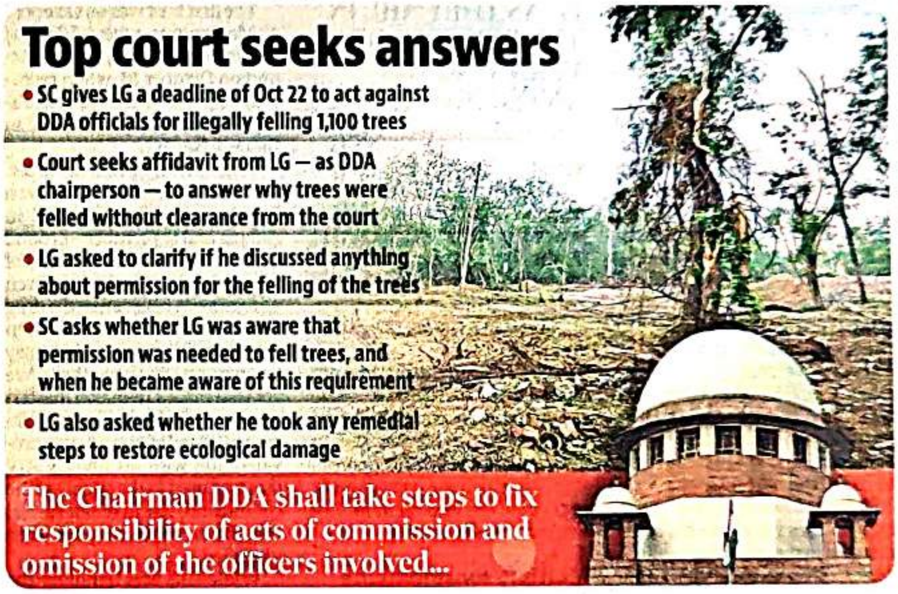

"The chairman DDA shall take steps to fix responsibility of acts of commission and omission of the officers involved.... If DDA chairman is of the view that such disciplinary action and initiation of criminal action for breaching directions of this court has to be taken up, we would expect such action be taken in the interregnum without awaiting this court's order," the bench said.

Although notice was issued on the contempt petition by a bench headed by justice Abhay S Oka in May this year, the matter was referred to the CJI as another bench of the top court headed by justice Bhushan R Gavai was dealing with the same aspect of contempt against DDA and had sought response of DDA vice chairman in April.

Senior advocates Mahesh Jethmalani and Maninder Singh, appearing for chairman and vice chairman of DDA, said that most of the information has already been supplied in the various affidavits filed by DDA vice chairman during the proceedings before a bench led by justice Oka.

"The question to be asked is whether it was caused because of me (the LG)," Jethmalani said. He submitted that the LG went to visit the CAPFIMS hospital – a multi-specialty hospital in the vicinity – on February 3 and stopped by to see the status of the road construction. "He was not the final authority in this matter as other authorities had already granted permission (for the felling)," he contended.

But the CJI responded: "You mean to say all of this was done by subordinates? We now want the highest authority to satisfy us. Before we take action, we want action to be taken by DDA."

The court indicated that the personal affidavit by the LG should be based on the records and facts available in his personal knowledge, considering the site visit of February 3. Soon after this visit, where he gave orders to expedite work, the DDA obtained permission of the Delhi government on February 14 for felling 422 trees, although many more trees were chopped.

DDA, on its part, following an in-house enquiry, fixed the blame on three officers – executive engineer Manoj Kumar Yadav and two subordinate officers Pawan Kumar and Ayush Saraswat – for permitting the felling of trees. But the court termed them "scapegoats" as the emails written by Yadav on February 7 and 14 showed that the LG visited the site in question on February 3 and "directed to clear the trees coming in the right of way". During enquiry, Yadav denied the emails were from his ID.

Appearing for the contempt petitioners, senior advocate Gopal Sankaranarayanan along with advocate Manan Verma took the court through the history of the case pertaining to Delhi Ridge where orders were issued from time to time in the TN Godavarman matter pertaining to forest land by justice Gavai-led bench and in the MC Mehta case pertaining to green cover in Delhi (which is being heard by the other bench headed by justice Oka).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, OCTOBER 17, 2024 ---DATED-----

CM declares NOC waiver for power in 1,731 illegal colonies

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Chief minister Atishi announced on Wednesday that residents of 1,731 unauthorised colonies in the capital will no longer need 'no objection certificates' (NOCs) from Delhi Development Authority (DDA) to obtain power connections and install meters.

Accusing the chief minister of "falsely claiming" credit for waiving the NOC requirement, BJP stated that the change was made by lieutenant governor (LG) at the request of its leaders.

At a press conference, Atishi said power distribution companies were directed to provide connections in unauthorised colonies without an NOC from the DDA within 15 days of receiving the application. The NOC had been required to prove that a house or building was not covered by the DDA's land pooling policy. She added that the NOC requirement had become a tool for DDA officials to harass residents of unauthorised colonies and "seek bribes" from them.

"For the past year, residents of unauthorised colonies in Delhi were struggling to get electricity connections due to an order by BJP-governed DDA... They had to run from place to place, facing hurdles in applying for electricity meters and having to pay bribes for NOCs," she said.

Atishi added that residents from areas such as Swaroop Vihar Extension, West Kamal Vihar, Mohan Garden, Vipin Garden, and Nawada Extension had approached her with grievances.

Delhi BJP president Virendra Sachdeva said the party's MPs had intervened through the LG to resolve the issue of the mandatory NOC, which had been required by the power discoms under AAP govt. He noted that a public meeting was held in Burari on Oct 6 to thank Prime Minister Narendra Modi for abolishing the NOC requirement.

South Delhi BJP MP Ramvir Bidhuri also said that the NOC requirement for power connections in urbanised villages and unauthorised colonies had been withdrawn by the LG earlier this month. He claimed Atishi's assertion that Delhi govt removed the condition was "completely false". He added that all BJP MPs from Delhi had requested the LG to resolve the issue, and an order issued on Oct 1 abolished the NOC requirement.

Leader of Opposition in Delhi assembly, Vijender Gupta, said the LG issued the order on Oct 1. "And now, 15 days later, Atishi is falsely attempting to take credit for the same decision. This is a matter related to DDA, and it has nothing to do with Delhi govt. Why did Atishi not protest or demonstrate against the NOC requirement earlier, when BJP MPs and MLAs met the LG and demanded its removal?" Gupta questioned.

DDA asks discoms to provide connections in land pooling areas

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Acting on the instructions of lieutenant governor VK Saxena, DDA issued orders on Wednesday asking the power discoms to provide electricity connections in land pooling areas of Delhi.

In the office order issued, in supersession of all previous instructions, it was specified that the discoms may issue fresh electricity connections suo motu for constructions within the notified PM-UDAY colonies, lal dora and extended lal dora areas by referring to the list of such areas.

"Regarding the vacant patches of private land completely encircled by PM-UDAY colonies and not situated at the periphery of PM-UDAY colonies, the discoms can issue fresh electricity connections suo motu. Further, in cases where pre-existing permanent electricity connections were surrendered in lieu of reconstruction, renovation, or change of ownership, the discoms can issue fresh electricity connections suo motu," stated the order.

Further, the discoms may follow their existing protocol prior to 26 June, 2023 in issuing fresh electricity connections in respect of MCD regularised colonies, plots allotted under the 20 Points Programme, industry/godown situated in non-conforming areas regularised by GNCTD prior to the issuance of notification of land pooling regulations, JJ clusters where land rights were given by DDA or any other govt agency prior to the issuance of notification of land pooling regulations, govt establishments, etc.

The above decisions were taken following a meeting at DDA on Tuesday.

The Land Pooling Policy, 2018 was notified via a gazette notification dated Oct 11, 2018. The policy aimed at ensuring planned urban development in an inclusive and equitable manner in Delhi. As per the policy, 105 urbanised villages were notified as development areas and declared as land pooling areas.

However, taking note of the problems faced by residents in the above categories to get power connected, it was observed that various categories of exclusions needed to be made in respect of the earlier orders of June 2023. Saxena accordingly directed DDA to review the issues and grievances in detail for the resolution of the problems of the people.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI THURSDAY, OCTOBER 17, 2024 ----DATED--------------------

SC asks for LG's affidavit on DDA Ridge tree felling

Supreme Court on Wednesday asked Delhi LG V K Saxena, as ex-officio chairperson of DDA, to explain through an affidavit by Tuesday why DDA did not seek mandatory approval of the court before illegally felling over 1,000 trees in the southern Ridge to build a road, a project now scrapped.

The bench asked Saxena to explain from the records and from his "personal knowledge" whether he was aware of the requirement of prior permission from SC and the actual felling without court's permission. P6

SC Seeks LG's Affidavit On DDA Felling Trees On Ridge

Initiate Action Against Erring Officials, Else We Will: Court

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

New Delhi: In an unprecedented step, the Supreme Court on Wednesday asked Delhi lieutenant governor Vinai Kumar Saxena, as ex-officio chairperson of DDA, to explain through an affidavit by Tuesday why DDA did not seek mandatory SC approval before illegally felling over 1,000 trees in the southern Ridge to build a road, a project now scrapped with ongoing ecological restoration work.

Constitutional courts generally avoid issuing notices to President, PM, speakers, governors and LGs, but a bench of CJI D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra stepped around the traditionally forbidden step by referring to Saxena as DDA chairperson and telling him to disclose whether he had knowledge of the felling of trees without the SC's nod.

The bench asked Saxena to explain from the records and from his "personal knowledge" whether he was aware of the requirement of mandatory permission from SC prior to tree felling and the actual cutting down of trees without SC permission. It also asked him to detail the remedial measures for restoration of ecology damaged by tree cutting and asked whether officials responsible for this had been identified and proceeded against either by initiation of disciplinary proceedings or lodging of FIRs.

Senior advocate Maninder Singh informed the bench that DDA, in its affidavit, had answered many of the bench's questions. The bench said, "We want the DDA chairperson to tell us about it, not the DDA vice-chairperson." It also said, "The DDA chairperson must wield his authority and take action, before we take action."

When senior advocate Gopal Sankaranarayanan complained that though nearly 1,100 trees were cut, there was no trace of the timber, which under the law should have been sealed and marked. The bench

The bench asked LG to explain from the records and from his 'personal knowledge' whether he was aware of the requirement of mandatory nod from SC prior to tree felling

asked the DDA chairperson to explain the whereabouts of the timber. It also asked the expert committee, set up by another bench, to submit its report on many aspects of the illegal tree cutting that led to the SC initiating contempt proceedings against DDA vice-chairperson Subhasish Panda.

The LG on Feb 3 had ordered expediting of work during a visit to the road widening project site, which was to provide better access to a super-specialty hospital built by the home ministry to treat paramilitary personnel wounded in border or anti-insurgency operations, the Saarc University and residential quarters for CBI officers. The LG's counsel and senior advocate Mahesh Jethmalani told the court that Saxena had no role to play in tree felling carried out on Feb 16.

DDA had filed an application in the SC seeking permission to cut trees but it was rejected on March 4 with a direction to DDA to explore an alternative access road without harming the Ridge and in its absence to devise a plan to minimise tree cutting.

Even before the application was heard in the SC, DDA had felled the trees resulting in a bench led by Justice B R Gavai initiating contempt proceedings against the DDA vice-chairperson on April 24. Another bench led by Justice A S Oka drew up similar contempt proceedings on May 9 on the same issue. In July, the Justice Gavai-led bench had referred the matter to the CJI to avoid parallel contempt proceedings.

Jethmalani said the project had received clearances from the Ridge Management Board, the Central Empowered Committee as well as Delhi forest department but obviously there was no prior permission from the SC, which was mandatorily required under the apex court's 1996 order directing maintenance of the Ridge in its pristine glory as it was the lone green lung available in the national capital which reels under pollution.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, OCTOBER 17, 2024

SC asks L-G Saxena to file affidavit, seeks full disclosure on tree felling

ANANTHAKRISHNAN G
NEW DELHI, OCTOBER 16

THE SUPREME Court on Wednesday sought an affidavit from Delhi Lieutenant Governor V K Saxena, in his capacity as the Chairperson of the Delhi Development Authority (DDA), on the controversy surrounding the alleged illegal felling of trees for widening the approach road to the under-construction Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences in Southwest Delhi's ridge area.

A three-judge bench presided by Chief Justice of India D Y Chandrachud issued the direction while hearing a contempt plea against DDA Vice-Chairman Subhashish Panda for the tree felling without prior sanction of the top court.

The bench, also comprising

CONTINUED ON PAGE 4

SC asks Delhi L-G to file affidavit

Justices J B Pardiwala and Manoj Misra, said although it transpired from the records that the Chairperson visited the site on February 3, and "directed expediting the project of road widening, at this stage, the material on the record is ambiguous on certain critical aspects on which a further elaboration will be required".

It said that more information was required on "whether during the course of the site visit... there was any discussion with or intimation furnished to the Chairperson of DDA on the permission required to be obtained from this court for the felling or removal of trees?" If yes, "what steps, if any, were taken to ensure that the permission of" the apex court "could be obtained before the actual work of felling took place", and if no, "when was the Chairperson of DDA first made aware of the fact that permission for the felling of trees from this court was required", the bench said.

The bench said "actual felling of trees commenced on or about February 16, 2024 even before an application was moved before" it, "and which was eventually dismissed by an order dated March 4, 2024" and sought to know what steps have been taken for restoration of the ecological damage caused by the felling of trees.

The court asked the DDA Chairperson to inform it about measures taken to "identify the officers responsible for the wilful act of suppression from this court in the application filed for permission of the fact that the felling of trees had already taken place even before the application was filed... when orders were passed on March 4, 2024, rejecting the application for permission". It also wanted to know if any disciplinary proceeding has been instituted against the officials responsible and whether in the Chairperson's view criminal action should be taken against those who breached the court's directions.

Fixing the matter for hearing again on October 22, the bench said "in the event that the Chairperson... is of the view that disciplinary action and the initiation of criminal prosecution should be taken up, we would expect that such action should be taken in the interregnum without waiting for the directions of this court".

The bench said the affidavit "shall be personally filed by the Chairperson of DDA, making a full disclosure both on the basis of the material on record and of facts which are personal to the knowledge of the Chairperson bearing in mind what transpired at the site visit on February 3".

Towards the end of the hearing, CJI Chandrachud remarked orally, "We want the Chairperson to now wield his authority and ensure that action is taken on the ground." He said "if the L-G was advised that there is a status quo order of the SC, it is unlikely that he would have said that there should be a violation of the order... The point is who suppressed these orders from the L-G."

The matter had reached the CJI's bench after two other benches issued notices on the issue. A bench led by Justice B R Gavai, which issued a notice earlier, had expressed displeasure over another bench led by Justice A S Oka taking up the matter despite being told that it was already being dealt with.

DDA NOC no longer needed for power connection in unauthorised colonies: CM

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 16

NO-OBJECTION CERTIFICATES (NOCs) from the Delhi Development Authority (DDA) will no longer be required to obtain electricity connections for residents of unauthorised colonies, Chief Minister Atishi announced Wednesday. "We have ordered the discoms to ensure that electricity connections are provided within 15 days of application," she said.

Meanwhile, the DDA, headed by the Lt-Governor, stated in a release that decisions for the issues raised by the discoms requiring NOC for power connection for 1,731 PM UDAY colonies were already taken on October 15.

File
CM Atishi.

"Any restriction on development including electricity connections is the sole prerogative of DDA and not of any other authority," it said.

Earlier in the day, Atishi had criticised the DDA order that mandated a written NOC, confirming that the area did not fall under land pooling, from the authority for power connections. "Many residents...had to often give bribes to get electricity connections... For the past year, residents from colonies such as Swaroop Vihar Extension, Mohan Garden, Vipin Garden, and Newada Extension, among others, have been facing hardships for electricity connections. Many people have visited me to complain," Atishi said.

Many unauthorised colonies struggle with inadequate infrastructure and lack of essential services. "Until 10 years ago, these unauthorised colonies were pathetic. Politicians used to go there to ask for votes, but no work was done to improve their condition," Atishi said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024

NOC ज़रूरी नहीं, कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

कच्ची कॉलोनियो मे रहने वाले लोगो को नए बिजली कनेक्शन मिलने मे आ रही दिक्कतो को दूर करते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि अब कच्ची कॉलोनियो मे रहने वाले लोगो को बिजली का नया कनेक्शन लेने और मीटर लगवाने के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नही होगी। आतिशी ने बताया कि बिजली कंपनियो को इस संबंध मे जरूरी आदेश दे दिए गए है कि अब कच्ची कॉलोनियो मीटर लगाने के लिए वो लोगो से किसी भी प्रकार की एनओसी ना मांगे।

बुधवार को दिल्ली सचिवालय मे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री आतिशी ने यह जानकारी साझा की। उन्होने कहा कि डीडीए द्वारा कच्ची कॉलोनियो मे बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी लेने की अनिवार्यता का नियम बनाने के बाद लोग दर-दर भटकने और रिश्वत देने को मजबूर थे। मगर अब दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियो मे बिजली का मीटर लगवाने के लिए लोगो की किसी भी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नही होगी। कच्ची कॉलोनियों में बिना एनओसी के ही 15 दिन में बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा।

आतिशी के मुताबिक, दिल्ली मे 1731 कच्ची कॉलोनियां है। 10 साल पहले तक इनका बहुत बुरा हाल था। यहां नेता वोट मांगने तो जाते थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनती थी, तो इन कॉलोनियों में न तो सड़कें बनाई जाती थी, न पानी-सीवर की लाइनें डाली जाती थीं। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व मे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को नेतृत्व में हरसंभव सहूलियत देने का काम किया और इन कॉलोनियों में काफी विकास कार्य कराए गए। मगर पिछले एक साल से इन कॉलोनियो मे रहने वाले लोग बिजली कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार की डीडीए ने ऑर्डर निकाल दिया था कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जब वो डीडीए से लिखित में यह एनओसी लेकर आएंगे कि उनका एरिया लैंड पूलिंग के क्षेत्र में नही आता है। नतीजा ये हुआ कि पिछले कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लो को बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करने के बाद एनओसी के लिए भटकना पड़ रहा था और रिश्वत देनी पड़ रही थी।

आतिशी ने कहा कि बतौर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे पास स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेशन सहित कई इलाकों से लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे। लोगो की इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब 1731 कच्ची कॉलोनियो में बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नही होगी। उन्होने कहा कि बीजेपी शासित डीडीए दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों मे रहने वाले लोगो को परेशान करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों मे रहने वाले लोगों को परेशान नहीं होने देगी।

Photos : Agencies

बतौर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे पास स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों से लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे। लोगों की इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नही होगी। - *आतिशी, मुख्यमंत्री*

डीडीए ने भी जारी किया आदेश

एलजी के निर्देश के बाद डीडीए ने भी बिजली कनेक्शन से जुड़ा आदेश जारी कर दिया। इसके हिसाब से अब शहरीकृत गांवों, कच्ची कॉलोनियों के डिवेलपिंग एरिया में बिजली का मीटर लगवाने के लिए डीडीए से एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। एलजी ने डीडीए को इसके लिए 1 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद लैंड पूलिंग रेगुलेशन, 2018 जारी होने से पहले एमसीडी की तरफ से नियमित की गई कॉलोनियों, नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगों व गोदामों और जेजे कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। डीडीए के अनुसार लैंड पूलिंग एरिया में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए डीडीए ने यह नियम बनाया था। इसके तहत 26 जून 2023 को यह आदेश जारी किए थे। जिसमें कहा गया था कि बिना डीडीए की एनओसी के गांव के लाल डोरा, एक्सटेंडेड लाल डोरा और पीएम उदय कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन न दिए जाएं।

दिल्ली की खबरों के लिए टेलिग्राम पर फॉलो करें
t.me/nbtdilli

कच्ची कॉलोनियों में बिजली के लिए NOC ज़रूरी नहीं

■ विस, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि अब कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली का नया कनेक्शन लेने और मीटर लगवाने के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। बिजली कंपनियों को इस संबंध में जरूरी आदेश दे दिए गए है। बुधवार को सीएम आतिशी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की अनिवार्यता होने से लोग दर-दर भटकने और रिश्वत देने को मजबूर थे। अब कच्ची कॉलोनियों में बिना एनओसी के ही 15 दिन में बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा। बीजेपी शासित डीडीए कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों को परेशान करने की कितनी भी कोशिश करे, दिल्ली सरकार मदद करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024

DDA के प्रोजेक्ट्स से यमुना के बहाव पर नहीं पड़ रहा है कोई बुरा असर: NMCG

Prachi.Yadav@timesofindia.com

■ नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा(NMCG) ने डीडीए के दावे पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। डीडीए ने दावा किया था कि अथॉरिटी यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) के संरक्षण, रिस्टोरेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रही है, न कि नदी के बहाव में बाधा डालने की दिशा मे, जैसा कि एक खबर में उस पर आरोप लगाया गया।

डीडीए पर फ्लड प्लेन की बहाली से जुड़े आदेशों की अनदेखी के लगे थे आरोप

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) में दायर NMCG की रिपोर्ट मे कहा गया है कि सूर घाट और वासुदेव घाट पर रिस्टोरेशन की योजना INTACH द्वारा तैयार की गई है। इसका मकसद यमुना नदी से जुड़े ऐतिहासिक, कल्चरल, धार्मिक कनेक्ट को बहाल करना है। इन कामो से नदी के बहाव में कोई बाधा नहीं पड़ रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बांसेरा में पक्की सड़क को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए डीडीए को पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जहां तक मिलेनियम बस डिपो की बात है तो डीडीए किसी ऐसे प्रस्ताव की तलाश में है जो आम जनता का नदी के साथ कनेक्शन बढ़ाए। NMCG ने कहा कि उन्हें इस काम मे तेजी लाने की जरूरत है। डीडीए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर इलाके के रिस्टोरेशन की योजना बना सकता है।

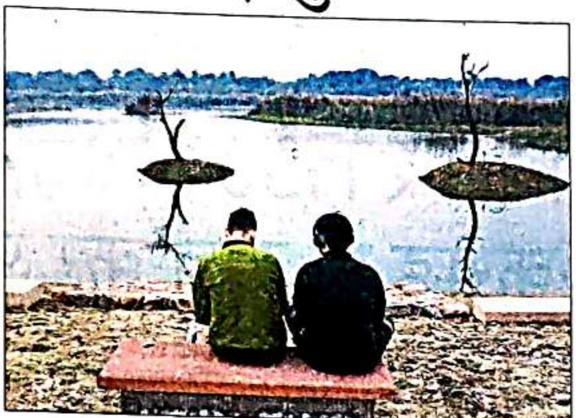

जहां तक सिग्नेचर ब्रिज के पास यार्ड बनाने की बात है तो NMCG की राय में, डीडीए की वजह से यहां से बड़े पैमाने पर नदी के फ्लड प्लेन से मलबा आदि हटाया गया है। असिता घाट की बात करें तो डीडीए के मुताबिक, फ्लड प्लेन के इस हिस्से में लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए रास्ते बनाए गए हैं और यह 90 हेक्टेयर में फैले पूरे असिता का केवल 0.002 पर्सेंट है। NMCG के मुताबिक, यह कुल इलाके का नाममात्र हिस्सा है जिससे डूब इलाके के रिचार्ज से जुड़ी गतिविधियों पर कोई असर नहीं होगा।

NMCG ने यह रिपोर्ट उस मामले में पेश की है, जिसकी शुरुआत एक खबर से हुई थी। खबर में फ्लड प्लेन की बहाली से जुड़े आदेशों की अनदेखी और उस पर अंधाधुंध तरीके से कंस्ट्रक्शन को हवा देने का डीडीए पर, आरोप लगाया गया था। एनजीटी ने 22 मई को खबर का संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई शुरू की थी। डीडीए, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। NMCG को भी नोटिस जारी हुआ था। सीपीसीबी को निर्देश मिला था कि वह रिपोर्ट दाखिल कर यह बताए कि डीडीए ने यमुना के बाढ़ इलाके को अतिक्रमण से बचाने से जुड़े ट्रिब्यूनल के आदेशों का किस हद तक उल्लंघन किया है। डीडीए ने ट्रिब्यूनल के सामने दावा किया कि वह एनजीटी द्वारा बनाए गए निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, गुरुवार, 17 अक्तूबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS--DAT

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024

डीडीए की एनओसी बिना बिजली कनेक्शन

3 राजधानी की 1731 कच्ची कॉलोनियों में अब डीडीए की एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन मिलेगा। P03

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, कच्ची कॉलोनी वालों को फायदा

डीडीए की एनओसी बिना बिजली मीटर ले सकेंगे

निर्णय

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी की 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब उन्हें डीडीए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसकी जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर सभी बिजली कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग पहले सरकार की प्राथमिकता में नहीं थे। उन्हें सुविधाएं देने में सरकार पीछे रहती थी, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से सभी कच्ची कॉलोनियों में जमकर विकास कार्य किए गए हैं।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन बिछाई और सीवर कनेक्शन के लिए पाइप लाइन बिछाई।

लोग दर-दर भटकने के लिए मजबूर : आतिशी

आतिशी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह केन्द्र सरकार के अधीन आने वाली डीडीए की ओर से निकाला गया एक आदेश है। इसमें कहा गया है कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेनी होगी। इसके लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं।

आदेश जारी किया

कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में बुधवार को डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया है। इसमें लैंडपूलिंग क्षेत्रों के साथ पीएम उदय कॉलोनियां, लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों के अंदर निर्माण के लिए नए बिजली कनेक्शन कंपनियां जारी कर सकती हैं। साथ ही, निगम की तरफ से नियमित की गई कॉलोनियों में भी बिजली कंपनियां बिजली कनेक्शन जारी कर सकती हैं।

पहले ही राहत मिल चुकी : भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिजली कनेक्शन में एनओसी हटाने के मामले में सीएम झूठ बोल रही हैं। सचदेवा ने कहा कि भाजपा सासंदों की मांग पर एलजी ने पहले ही एनओसी की शर्त हटा दी है। अब आम आदमी पार्टी इसका झूठा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है।

सचदेवा ने कहा कि भाजपा ने बीते लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था। यह शर्त कभी डीडीए ने नहीं लगाई, बल्कि पावर डिस्कॉम की तरफ से लगाई गई थी। भाजपा के सात सांसदों ने दिल्ली देहात व शहरीकृत गांव और अनधिकृत कॉलोनी के मामले पर उपराज्यपाल से मुलाकात की और उनके माध्यम से समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीतियों के चलते यह समस्या पैदा हुई थी। 5-5 वर्षों से एक ही कनेक्शन से 300-400 घरों में कनेक्शन दिया गया और 21 रुपए प्रति यूनिट तक के हिसाब से उन गरीब परिवारों से वसूल किए गए।

रिज में पेड़ काटने के मामले में SC ने LG से मांगी रिपोर्ट

■ विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ काटने के मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली के एलजी और डीडीए के अध्यक्ष वीके सक्सेना को निर्देश दिया है कि वह 22 अक्टूबर तक पेड़ काटे जाने के मामले में पूरे ब्योरे वाला हलफनामा पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। ये पेड़ फरवरी 2024 में काटे गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने डीडीए अध्यक्ष सक्सेना को यह भी साफ करने को कहा है कि क्या पेड़ काटे जाने के लिए कोर्ट की इजाजत को लेकर चर्चा के बारे में जानकारी थी? एलजी को कब बताया गया कि अनुमति की आवश्यकता है। तीसरा सुधारात्मक उपाय को लेकर क्या कदम उठाए गए है। रिज की मूल प्रकृति को संरक्षित करने के अदालत के आदेश के बाद जिन अधिकारियों का दोष सामने आया है उन पर क्या कार्रवाई की गई है। पेड़ काटे जाने को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा और अन्य के खिलाफ कंटेम्प्ट मामले की सुनवाई हुई। पहले जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने मामले मे सुनवाई की थी। वहीं जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने 24 जुलाई को रिज इलाके में पेड़ काटे जाने को लेकर अलग अलग मामले की सुनवाई की थी। बाद में चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की ताकि अलग अलग बेंच में विरोधाभासी आदेश पारित न हो जाएं। कुल 1100 पेड़ सड़क चौड़ी करण के कारण काटे गए थे।

कोर्ट ने हलफनामा पेश करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि एलजी इस मामले में कदम उठाएं। इस मामले में कुछ तथ्य है जिनका खुलासा होना चाहिए और एलजी को इस बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी कि क्या 3 फरवरी को जब डीडीए के चेयरपर्सन ने दौरा किया था तो उनके साथ कोई बातचीत या फिर उन्हें सूचना दी गई थी कि पेड़ काटे जाने से पहले कोर्ट की मंजूरी जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान कंटेम्प्ट अर्जी दाखिल करने वाले एक वकील गोपाल शंकरनारायण ने आरोप लगाया कि अभी तक स्थिति साफ नहीं है। वहीं एलजी की ओर से पेश महेश जेठमलानी ने कहा कि एलजी ने 3 फरवरी को वहां विजिट किया था, लेकिन पेड़ काटे जाने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 1100 पेड़ काटे गए हैं। ये पेड़ कहा गए। इस पर जेठमलानी ने कहा कि वह टिंबर को मॉनिटर नहीं करते हैं। बहरहाल अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

पेड़ों की कटाईः SC ने LG से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के रिज इलाके में पेड़ों की कथित कटाई के मुद्दे पर बुधवार को DDA के अध्यक्ष और LG वीके सक्सेना को 22 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच पेड़ों की कथित कटाई मुद्दे पर अवमानना की सुनवाई कर रही है। ▸▸ पेज 2

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2024 ----DATED----------

कच्ची कालोनियों में बिना एनओसी बिजली कनेक्शन

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कच्ची कालोनियों (अनधिकृत कालोनियों) में रहने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब यहां के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। बिना एनओसी 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। • पेज 5

कच्ची कालोनियों में बिना एनओसी 15 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री आतिशी ने दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कच्ची कालोनियों (अनधिकृत कालोनियों) में रहने वालों को बड़ी राहत की घोषणा की है। अब लोगों को कच्ची कालोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। बिना एनओसी 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि बिजली कंपनियों को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कालोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी एनओसी की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली की 1,731 कच्ची कालोनियों में बिजली का मीटर लगवाने के लिए लोगों को अब किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले एक साल से कच्ची कालोनियों में रहने वाले लोग बिजली कनेक्शन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ठोकरें खा रहे और रिश्वत देने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के डीडीए ने आर्डर निकाला कि कच्ची कालोनियों में रहने वाले लोगों को तभी बिजली कनेक्शन मिलेगा, जब डीडीए से लिखित एनओसी लेंगे कि यह एरिया लैंडपूलिंग क्षेत्र में नहीं आता है।

आतिशी ने कहा कि मेरे पास बतौर ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री स्वरूप विहार एक्सटेंशन, वेस्ट कमल विहार, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन व नवादा एक्सटेंशन सहित कई इलाकों से लोग आए और अपनी समस्याएं हमारे सामने रखीं। इसके बाद ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई भी व्यक्ति कच्ची कालोनियों में रहता है तो बिजली के मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और उसे डिस्काम द्वारा निर्धारित समय के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार कच्ची कालोनियों में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री आतिशी • आर्काइव

> कोई भी व्यक्ति कच्ची कालोनियों में रहता है तो बिजली के मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और उसे समय के भीतर बिजली कनेक्शन मिलेगा।
>
> **आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री**

डीडीए ने बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त हटाई

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ के बीच डीडीए ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया कि कच्ची कालोनियों (अनधिकृत कालोनियों) में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा सहित अन्य कालोनियों में अब बिजली कंपनी डीडीए के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना भी बिजली के कनेक्शन दे सकेंगी। डीडीए ने एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। डीडीए के निदेशक, लैंड पूलिंग डा. विक्रम सिंघल ने आदेश जारी कर एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इन कालोनियों में बिजली कंपनियां स्वतः नए बिजली कनेक्शन जारी कर सकेंगी। डीडीए के आदेश में कहा गया है कि अधिसूचित पीएम-उदय कालोनियों, लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों के अलावा ऐसे मामले जहां पहले से मौजूद स्थायी बिजली कनेक्शन को वापस कर दिया गया है, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण या स्वामित्व में परिवर्तन के कारण इत्यादि मामलों में बिजली कंपनियां नए सिरे से कनेक्शन दे सकेंगी।

डीडीए ने कहा है कि एनओसी की अनिवार्यता के चलते बिजली कंपनियों ने मीटर के कनेक्शन देने बंद कर दिए, जिस पर कालोनियों के लोगों ने परेशान होकर डीडीए, राजनिवास और अन्य महकमों में एनओसी में आ रही परेशानियों का जिक्र किया था। लोगों की मिली शिकायतों और जनहित को देखते हुए डीडीए ने अपना आदेश वापस ले लिया है। अब इन कालोनियों में आसानी से बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा।

क्रेडिट चोर बन गई है आम आदमी पार्टी : मनोज तिवारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: कच्ची कालोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी मामले पर राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी पर इस मामले में झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी की प्रेसवार्ता के बाद भाजपा ने कहा है कि सच्चाई यह है कि पार्टी नेताओं के अनुरोध पर एलजी वीके सक्सेना ने पहले ही इस बारे में आदेश जारी करा दिया था। जिसमें बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की अनिवार्यता हटा दी गई थी।

मनोज तिवारी

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी सांसदों ने अनिवार्य एनओसी के मुद्दे के समाधान के लिए एलजी के माध्यम से हस्तक्षेप किया था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि छह अक्टूबर को दिल्ली के निवासियों ने बुराड़ी में एक जनसभा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने के लिए धन्यवाद दिया था। सचदेवा ने दावा किया कि वितरण कंपनियों ने पहले शहरी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए एमसीडी से एनओसी मांगी थी और पिछले साल उन्होंने अनधिकृत कालोनियों के लिए डीडीए से इसकी मांग शुरू कर दी। दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर बिधूड़ी ने कहा कि शहरीकृत गांवों और अनधिकृत कालोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की पूर्व शर्त को एलजी ने इस महीने की शुरुआत में ही वापस ले लिया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, गुरुवार, 17 अक्तूबर 2024 ---DATED----------------------

गलत श्रेणी में फ्लैट आवंटित किया, डीडीए पर जुर्माना

■ गौरव बाजपेई

नई दिल्ली। मध्य जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सात साल पहले भवन योजना में आवेदक को पहले गलत श्रेणी में फ्लैट आवंटित करने और उसके बाद आवंटन रद्द करने के मामले में अदालत ने अपने फैसला सुनाया।

आयोग की अध्यक्ष मोनिका सहरावत और सदस्य किरण कौशल ने डीडीए को सेवा दाता मानते हुए आवेदक के उभोक्ता के अधिकारों के तहत संरक्षित माना और सेवा में कमी के लिए डीडीए को जिम्मेदार माना है। कुशल सिंह रावत ने अक्तूबर 2014 में डीडीए की नरेला इलाके के डीडीए फ्लैट योजना में सामान्य श्रेणी में आवेदन किया। इसके लिए एक लाख रुपये की राशि जमा की। उन्हें सूचित किया गया कि उनका फ्लैट एक कम्प्यूटरीकृत ड्रा में आवंटित कर दिया गया है। हालांकि, फ्लैट आरक्षित शेड्यूल कास्ट श्रेणी में आवंटित किया गया था। इस पर उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन उन्हें कुल राशि जमा कर फ्लैट लेने के लिए कहा। उन्होंने भविष्य निधि खाते की रकम और अन्य जगहों से लोन लेकर 12.5 लाख रुपये जमा किए। इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी के 58 हजार रुपये भी जमा किए।

एलजी से निजी हलफनामा मांगा

सड़क को चौड़ा करने के लिए पेड़ काटे गए थे

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद भी दक्षिणी दिल्ली के रिज क्षेत्र में एक अस्पताल की सड़क को चौड़ा करने के लिए कथित तौर पर लगभग 1100 पेड़ों को काटे जाने को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशिश पांडा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना के मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। शीर्ष अदालत ने उपराज्यपाल से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राजधानी के रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डीडीए के अध्यक्ष और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कई सवालों का जवाब देने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने उपराज्यपाल को 22 अक्तूबर तक निजी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह बताने के लिए कहा है कि रोक के बाद भी पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने उपराज्यपाल से यह भी बताने के लिए कहा है कि काटे गए पेड़ों की लकड़ी कहां गई? सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल सक्सेना से अपने निजी हलफनामे में यह बताने के लिए कहा है कि क्या तीन फरवरी, 2024 को मौके का निरीक्षण के दौरान उनकी (डीडीए अध्यक्ष) पेड़ों की कटाई या हटाने के लिए इस अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में कोई चर्चा हुई थी या उन्हें इसकी कोई सूचना दी गई थी? यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे कि पेड़ों की वास्तविक कटाई से पहले इस अदालत की अनुमति ली जाएगी। और यदि जवाब नहीं है तो इस स्थिति में, डीडीए अध्यक्ष को पहली बार इस तथ्य से कब अवगत कराया गया था कि पेड़ों की कटाई के लिए इस न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता है?

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2024 दैनिक जागरण

रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में हलफनामा दें उपराज्यपाल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को 22 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर करने से पहले ही 16 फरवरी को पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने जानना चाहा कि अदालत के समक्ष जानबूझकर इस तथ्य को छिपाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं कि आवेदन दाखिल किए जाने से पहले पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को निर्देश दिया कि वह बताएं कि क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर डीडीए और अन्य के खिलाफ अवमानना के मामले में कर रही है सुनवाई

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पूर्व में इस मामले की सुनवाई की थी। पिछली पीठ ने छतरपुर से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी तक सड़क निर्माण के लिए दक्षिणी रिज के सतबारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के आरोप में उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS--DATED---------------------

बिजली कनेक्शन को लेकर दिल्ली सरकार पर बोला हमला

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

बिजली कनेक्शन देने और मीटर लगाने का काम दिल्ली सरकार का है इसलिए जैसे ही लोग इस समस्या को लेकर हमारे पास आए, हमने उपराज्यपाल से इसका समाधान निकाला। - *मनोज तिवारी*

अनधिकृत कॉलोनियो के लोगो को बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नही लेनी पड़ेगी, दिल्ली की मुख्यमत्री के इस ऐलान पर बीजेपी के नेताओ ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एनओसी की शर्त डीडीए या एमसीडी ने कभी नही लगाई, बल्कि यह शर्त दिल्ली सरकार के डिस्कॉम ने लगाई। दिल्ली विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एनओसी की बाध्यता को खत्म करने की घोषणा 1 अक्टूबर को ही एलजी कर चुके है और इस आदेश का क्रेडिट सीएम आतिशी ले रही है।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त कभी डीडीए या एमसीडी ने नही लगाई, बल्कि यह शर्त डिस्कॉम ने लगाई। उन्होने कहा, बीजेपी के सांसदो ने बिजली एनओसी और प्रॉपर्टी म्यूटेशन जैसी समस्याओं पर उपराज्यपाल के माध्यम से फैसला करवाया। केंद्र सरकार विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनओसी की बाध्यता को खत्म करवाया और प्रॉपर्टी म्यूटेशन भी शुरू करवाया। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे हल करने का वादा किया था। दो बार हमारे सातों सांसद अनधिकृत कॉलोनियों ही नही दिल्ली देहात, अर्बन विलेज और गैर अनुरूप इलाकों की बिजली कनेक्शन के एनओसी और प्रॉपर्टी म्यूटेशन की समस्याओं के लिए एलजी से मिले। इनका हल निकालने के लिए 6 अक्टूबर को बुराड़ी में लोगों ने एक जनसभा कर प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कहा।

बीजेपी नेताओ ने कहा- NOC को लेकर सीएम ले रही है बीजेपी का क्रेडिट

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की बाध्यता को खत्म करने के एलजी के 1 अक्टूबर के आदेश का क्रेडिट आतिशी लेने का झूठा प्रयास कर रही है। यह डीडीए से जुड़ा मामला है, जिसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी सांसदो और विधायको ने इसे खत्म करने के लिए उपराज्यपाल से मुलाकात की। उनके आदेश के बाद लोगों को बिना एनओसी के बिजली के कनेक्शन मिलने भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भी द्वारका में डीडीए के विकास कार्य को अपना बताने की आम आदमी पार्टी ने नाकाम कोशिश की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि आतिशी बोल रही है कि डीडीए ने आदेश निकाला था कि बिजली कनेक्शन के लिए कच्ची कॉलोनियों के लोगों को एनओसी चाहिए होगा। यह जनता के बीच भ्रम फैलाने की साजिश है, डीडीए की एनओसी सिर्फ नई कॉलोनी काटने के लिए थी। तिवारी ने कहा कि बिजली कनेक्शन देने और मीटर लगाने का काम दिल्ली सरकार का है इसलिए जैसे ही लोग इस समस्या को लेकर हमारे पास आए, हमने उपराज्यपाल से इसका समाधान निकाला। प्रेस वार्ता में दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और कार्यालय मंत्री बृजेश राय भी मौजूद थे।